1.
432

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 1998 (चैत्र 5, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 17 की उपधारा 3 की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1)-97-एक-10, दिनांक 28 जुलाई, 1997 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें पटल पर रखेंगे -

(क) क्रमांक एफ-1-11-95-बाईस-पं.2, दिनांक 2.2.1998
(ख) क्रमांक एफ-1-50-(4)95-बाईस-पं.2, दिनांक 12.1.1998
(ग) क्रमांक एफ-1-11-95-बाईस-पी.2-(एक), दिनांक 12.1.1998
(घ) क्रमांक एफ-1-50(1)-95-बाईस-पं.2, दिनांक 12.1.1998
(ङ.) क्रमांक एफ-1-50(3)-95-बाईस-पं.2, दिनांक 12.1.1998
(च) क्रमांक एफ-1-50(2)-95-बाईस-पं.2, दिनांक 12.1.1998
(छ) क्रमांक एफ-20-95-बाईस-पं.2, दिनांक 1.1.1998; तथा
(ज) क्रमांक बी-1-40-95-बाईस-पं.2, दिनांक 4.2.1998

(3) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-90-95-वि. क. पांच (101), दिनांक 12 नवम्बर, 1997 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का उनतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) कुंवर विजय शाह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, खण्डवा जिले के खालवा पुलिस कर्मियों द्वारा तीन व्यक्तियों को यातनायें दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर की अठाना बुनकर सहकारी समिति के बुनकरों को सूत न मिल पाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो संबंधी समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो."

6. महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य

श्रीमती जमुना देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, दिनांक 15 मार्च, 1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 1732) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 6 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. वर्ष 1998-99 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" दिनांक 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रथम दो माह के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल बत्तीस सौ उनचास करोड़, तेईस लाख, तीस हजार रुपये की धनराशि जिसमें बजट अनुमान 1998-99 के लिये लेखा अनुदान की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई राशि स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट मांगों के लिये सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जाय "

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1998 (क्रमांक 5 सन् 1998) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

निर्धारित समय — उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. — (2) श्री रत्नेश सॉलोमन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 2 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. — (3) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 4 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 25 मार्च, 1998

---

* लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.